



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1943 (श10)

(सं० पटना 679) पटना, मंगलवार, 10 अगस्त 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2021

सं० 02/कर/शुल्क-02/2020, 4857/परि०-बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिचालन के अयोग्य अथवा 15 वर्ष पुराने वाहनों के निबंधन रद्द करने हेतु निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-5124, दिनांक-30.06.2020 को राज्य सरकार, एतद् द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्तमान अधिसूचना के लागू होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात् प्रभावी होगा एवं अगले 01 (एक) वर्ष हेतु प्रभावी रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

Dated- 10th August 2021

No.-02/कर/शुल्क-02/2020, 4857/परि०-In exercise of the powers conferred by the sub section (1) of the section (15) of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, the notification no.-5124, dated-30.06.2020, issued for the cancellation of the registration of the vehicles older than 15 years and the vehicles not fit for operation, is being extended by the State Government for the next one year from the date of its implementation subject to the conditions determined earlier.

2. This notification shall come into effect 05 working days from the date of its publication in Bihar Gazette and will remain into effect upto one year.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay kumar Agarwal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 679-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>